संचालनालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
लिंक रोड नम्बर-3, भोपाल – 462016
फोन – 077-2556916, ई-मेल - dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रं./सा.सहा./423617/I/1200346/2026 दिनांक : 29-07-2026

**प्रति,**

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

**विषय:** पेंशन हितग्राहियों की समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी कराने के संबंध में।
**संदर्भ:** कलेक्टर, जिला दमोह से प्राप्त पत्र सा.न्या./2026/2248 दिनांक 20.07.2026

संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, कलेक्टर, जिला दमोह द्वारा स्वविवेक से अपने जिले में **"सेवा एवं आशीर्वाद अभियान"** चलाया गया है, जिसके अंतर्गत ई-केवाईसी के अभाव में लंबित पेंशन प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया है। उक्त अभियान के दौरान विभिन्न विभागों एवं स्थानीय निकायों के समन्वय से अधिकांश पात्र हितग्राहियों की ई-के.वाई.सी. पूर्ण कर उनकी पेंशन पुनः प्रारंभ कराई गई, जो कि एवं अभिनव प्रयास है ।

अत: उक्त अभियान के अनुभवों को दृष्टिगत रखते हुए यदि आपके जिले में भी समग्र पोटर्ल पर आधार ई-के.वाई.सी. के अभाव में पेंशन प्रकरण लंबित हो तो कृपया आप भी निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर पेंशन हितग्राहियों की समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी कराने का कष्ट करें :-

1. जिले में ऐसे सभी पात्र पेंशन हितग्राहियों की सूची तैयार करें, जिनकी पेंशन केवल ई-के.वाई.सी. अथवा अन्य आवश्यक औपचारिकताओं के अभाव में लंबित है अथवा पेंशन ई-केवायसी किया जाना शेष है।
2. ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, जनपद पंचायत, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी एवं आधार सेवा केन्द्रों के समन्वय से विशेष अभियान संचालित कर लंबित ई-के.वाई.सी. पूर्ण कराई जाए।
3. आवश्यकता अनुसार ग्राम एवं वार्ड स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र हितग्राहियों को अभियान की जानकारी प्रदान की जाए।
4. वृद्ध, दिव्यांग एवं असहाय हितग्राहियों के लिए यथासंभव घर-घर जाकर ई-के.वाई.सी. की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
5. हितग्राहियों से किसी प्रकार का शुल्क न लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
6. जिन हितग्राहियों का बायोमेट्रिक सत्यापन संभव न हो, उनके लिए निर्धारित वैकल्पिक प्रक्रिया (आईरिस/OTP आदि) का उपयोग करते हुए ई-के.वाई.सी. पूर्ण कराई जाए।

उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए समस्त पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी की कार्यवाही करने का कष्ट करें, जिससे कि पात्र हितग्राहियों को पें ंशन से वंचित न हो सके ।

Digitally signed by
KRISHNA GOPAL TIWARI
Date: 29-07-2026
14:55:10

आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.

पृ.क्र./सा.सहा./423617/I/1200346/2026 दिनांक : 29-07-2026

प्रतिलिपी:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.।
4. समस्त आयुक्त, नगर निगम, म.प्र. ।
5. समस्त संयुक्त /उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, म.प्र.।
6. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, म.प्र.।
7. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत, म.प्र।
8. समस्त सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण, म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण म.प्र.

# कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय) ज़िला-दमोह (म.प्र.)

क्रमांक/सामा.न्या. /2026/2249 दमोह,दिनाँक 20 .07.2026

**प्रति,**

**आयुक्त,**
**सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग,**
**संचालनालय, म.प्र. भोपाल**

विषय:- सेवा एवं आर्शीवाद अभियान के माध्यम से 1637 वृद्धजनों को 9-10 माह से बंद पेंशन प्रारंभ कराकर लाभ दिलाये जाने बावत् ।

विषयांतर्गत संबंध में दमोह जिले में रात्रि चौपाल एवं ग्रामों के भ्रमण के दौरान संज्ञान में आया कि बडीसंख्या में वृद्धजन विभिन्न पेंशन योजनाओं में पात्रता रखने के बावजूद ई.के.वाई.सी. या अन्य औपचारिकता के अभाव में अगस्त सितंबर 2025 से पेंशन प्राप्त करने से वंचित हैं । मेरे द्वारा जिले के आंकडों का विश्लेषण कराया गया जिसमें पाया कि लगभग 1664 वृद्धजन पात्रता रखने के बावजूद शासन की योजनाओं से वंचित हैं । इनकी सूची तैयार कराकर इनको शासन की योजनाओं का लाभ शीघ्र दिलाये जान हेतु दिनांक 18.05.2026 से 18.06.2026 तक **सेवा एवं आशीर्वाद अभियान** चलाया गया जिसमें निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की गई –

1. इस अभियान को धरातल पर लागू करने हेतु समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, मुख्य नगरपालिका/परिषद अधिकारी (समस्त), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (समस्त), को एवं 42 आधार केन्द्र प्रभारी के साथ कार्यशाला आयोजित कर अभियान के मूल उद्देश्य से अवगत कराया गया एवं आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए ।

2. तैयार की गई पात्र जनों की सूची का प्रदर्शन संबंधित प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगरीय वार्ड में कराया गया ।

3. तीन दिवस पूर्व ग्राम पंचायत के सभी ग्रामों में कोंटवारों एवं नगरीय क्षेत्र में लाउड स्पीकर के माध्यम से अभियान के बारे में प्रचार-प्रसार किया गया। मुनादी कराई गई। जिससे यदि वृद्धजन कहीं नातेदारी/रिश्तेदारी में बाहर गए हैं, तो वे कैंप वाले दिवस पर गांव/वार्ड वापस आकर ई.के.वाई.सी. संबंधी कार्य पूर्ण करा सकें ।

4. आधार केंद्र प्रभारियों को सचिव/रोजगार सहायक/वार्ड प्रभारी के माध्यम से प्रत्येक वृद्धजन के घर-घर ले जाकर उनकी ई.के.वाई.सी. पूर्ण कराई गई।

5. वृद्धजन से ई.के.वाई.सी. का कोई शुल्क नहीं लिये जाने हेतु निर्णय लिया गया । आधार केन्द्र प्रभारियों के शुल्क का भुगतान एनजीओ के माध्यम से कराया गया । वृद्धजनों को 8-9 माह से पेंशन न

मिलने के कारण यह भी हो सकता है, कि वे ई.के.वाई.सी. की फीस आधार केंद्र संचालक को देने में असमर्थ हो जिससे पैसे के अभाव में कोई भी वृद्धजन पेंशन संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करने से वंचित न रह जाए।

6. आधार केन्द्र प्रभारी द्वारा बायोमैट्रिक डिवाईस/आइरिस डिंवाइस /बोरोलीन/बोरोप्लस जैसी क्रीम के साथ ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच रोजगार सहायक/नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी, सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के सहयोग से वृद्धजनों के घर-घर जाकर ई.के.वाई.सी. की कार्यवाही की गई।

7. टीम के द्वारा वृद्धजन के ई.के.वाई.सी. करने हेतु वृद्धजन के अच्छे से हाथ धुलाकर दसों उंगलियों से फिंगरप्रिंट मिलान करने का कार्य किया गया।

8. उंगलियों से फिंगरप्रिंट मिलन ना होने पर आयरिस स्कैन के माध्यम से ई.के.वाई.सी. प्रकिया पूर्ण करने का कार्य किया गया।

9. जिन वृद्धजनों के मोबाइल आधार कार्ड से लिंक हैं, उनके ओटीपी के माध्यम से ई.के.वाई.सी. पूर्ण करने का कार्य किया गया।

10. ई.के.वाई.सी. पूर्ण होते ही पेंशन स्वीकृति संबंधी कार्यवाही ग्राम पंचायत सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत / वार्ड प्रभारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के माध्यम से की गई।

11. इस अभियान की प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा की जाकर 1637 वृद्धजनों की ई.के.वाई.सी. प्रक्रिया पूर्ण कराई जाकर उनकी पेंशन स्वीकृति संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर पेंशन स्वीकृति आदेश उन्हें प्रदाय किए गए।

12. वृद्धजनों को पेंशन ग्राम में ही उपलब्ध कराने हेतु जो क्योस्क संचालक जाते थे, वह पेंशन निकालने के एवज में वृद्धजनों से गलत अपेक्षा रखते थे। उस पर अंकुश लगाने हेतु जिले के समस्त क्योस्क संचालकों / बैंकर्स के साथ बैठक कर उन्हें शक्त लहजे में समझाइश देकर अनाधिकृत अपेक्षा को बंद कराया गया।

इस तरह सेवा एवं आर्शीवाद अभियान के माध्यम से वृद्धजनों की पेंशन स्वीकृत कराकर शासन की योजना का लाभ उन्हें दिलाया गया। ऐसे प्रकरण अन्य जिलों में भी होना संभाव्य है, जिसे इस तरह के अभियान चलाकर लाभ दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।

तत्संबंध में चलाये गये **सेवा एवं आर्शीवाद अभियान** का प्रतिवेदन सुलभ संदर्भ हेतु सादर संप्रेषित है।

संलग्न–अभियान के पूर्व लंबित एवं अभियान पश्चात निराकृत प्रकरणों की स्थिति।

( प्रताप नारायण यादव )

**कलेक्टर**

**जिला – दमोह**

### सेवा और आशीर्वाद अभियान अंतर्गत पेंशन हितग्राहियों की निकायवार ईकेवाईसी की स्थिति

| स.क्रं. | स्थानीय निकाय | Total Target | progress 21-05-2026 | progress 22-05-2026 | progress 23-05-2026 | progress 25-05-2026 | progress 26-05-2026 | progress 27-05-2026 | progress 29-05-2026 | progress 30-05-2026 | progress 01-06-2026 | progress 02-06-2026 | progress 03-06-2026 | progress 04-06-2026 | progress 05-06-2026 | progress 06-06-2026 | progress 08-06-2026 | progress 09-06-2026 | progress 10-06-2026 | progress 11-06-2026 | progress 18-06-2026 | progress 19-06-2026 | % | progress 17-07-2026 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janpad Panchayat, BATIYAGARH | 217 | 15 | 57 | 82 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 176 | 178 | 184 | 186 | 192 | 192 | 201 | 201 | 215 | 215 | 215 | 99.08 | 217 | 100.00 |
| 2 | Janpad Panchayat, DAMOH | 126 | 19 | 27 | 43 | 45 | 48 | 57 | 61 | 68 | 72 | 79 | 83 | 84 | 85 | 87 | 90 | 95 | 96 | 108 | 108 | 108 | 85.71 | 126 | 100.00 |
| 3 | Janpad Panchayat, HATTA | 177 | 24 | 24 | 26 | 26 | 27 | 103 | 113 | 138 | 138 | 139 | 139 | 141 | 149 | 156 | 156 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 89.27 | 172 | 97.18 |
| 4 | Janpad Panchayat, JABERA | 315 | 47 | 58 | 66 | 85 | 116 | 126 | 130 | 135 | 170 | 202 | 226 | 243 | 277 | 288 | 288 | 289 | 289 | 297 | 297 | 297 | 94.29 | 314 | 99.68 |
| 5 | Janpad Panchayat, PATERA | 262 | 36 | 54 | 65 | 78 | 94 | 107 | 122 | 137 | 150 | 168 | 191 | 204 | 204 | 204 | 236 | 237 | 237 | 243 | 248 | 248 | 94.66 | 248 | 94.66 |
| 6 | Janpad Panchayat, PATHARIA | 78 | 4 | 4 | 4 | 29 | 34 | 40 | 47 | 47 | 50 | 51 | 51 | 58 | 66 | 65 | 67 | 67 | 72 | 72 | 72 | 72 | 92.31 | 78 | 100.00 |
| 7 | Janpad Panchayat, TENDUKHEDA | 208 | 27 | 27 | 32 | 54 | 80 | 80 | 99 | 99 | 129 | 129 | 141 | 166 | 170 | 178 | 178 | 178 | 178 | 180 | 202 | 202 | 97.12 | 206 | 99.04 |
| 8 | Nagar Parishad, HINDORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 9 | Nagar Parishad, PATHARIA | 17 | 6 | 8 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 94.12 | 17 | 100.00 |
| 10 | Nagar Parishad, TENDUKHEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 11 | Nagar Palika, DAMOH | 184 | 7 | 8 | 32 | 184 | 184 | 184 | 183 | 179 | 179 | 162 | 165 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 176 | 176 | 176 | 95.65 | 179 | 97.28 |
| 12 | Nagar Palika, HATTA | 80 | 15 | 21 | 32 | 41 | 46 | 49 | 54 | 54 | 59 | 64 | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 72 | 74 | 74 | 76 | 76 | 95.00 | 80 | 100.00 |
| 13 | Nagar Parishad, PATERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| **Total** | | **1664** | **200** | **288** | **396** | **771** | **858** | **977** | **1040** | **1088** | **1178** | **1186** | **1259** | **1342** | **1401** | **1435** | **1471** | **1490** | **1498** | **1539** | **1568** | **1568** | **94.23** | **1637** | **98.38** |